(ग) गुजरात में बड़ौदा और अंकलेश्वर स्थित पेट्रो-रसायन एककों का विस्तार करने की क्या योजनायें हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी)** : (क) फिलहाल, सरकारी क्षेत्र में तीन पेट्रोकेमिकल कम्पलैक्स विद्यमान हैं (अर्थात् दो एरोमेटिक्स और एक ओलेफिनिक) और संयुक्त क्षेत्र में कोई नहीं है।

(ख) और (ग) नागोथाणे में महाराष्ट्र गैस केमिकल्स, जो इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, में इथाइलीन की क्षमता को 3,00,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4,00,000 टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। पालिप्रापिलीन और पालिबुटाडीन रबड़ और बुटाडीन एक्सट्रेक्शन को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ौदा में आई-पी-सी-एल की क्षमताओं का विस्तार करने की योजनायें भी हैं।

## देश में विद्युत उत्पादन

1659. **श्री मोजा इर्शादबेग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है तथा उनकी कुल वार्षिक उत्पादन लागत कितनी है ; और

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान)** : (क) 12-3-90 की स्थिति के अनुसार देश में ताप, न्यूक्लीय एवं जल विद्युत केन्द्रों की कुल मिलाकर विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 61,000 मेगावाट है। 1987-88 के दौरान ताप तथा जल विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन को मिलाकर इनकी उत्पादन-लागत लगभग 42.5 पैसे/किलोवाट आवर बैठती है।

(ख) आठवीं योजना में संसाधनों एवं अन्य निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अनन्तिम रूप से लगभग 38369 मेगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की आयोजना की परिकल्पना की गई है।

## किसी उद्योग को रुग्ण घोषित किये जाने सम्बन्धी नियम तथा निर्देश

1660. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किसी उद्योग को रुग्ण घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम और निर्देश क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार उनमें संशोधन करने का विचार रखती है ?

**उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह)** : (क) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस०आई०सी०ए०) की परिभाषा के अनुसार एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी वह औद्योगिक कंपनी (7 वर्ष से कम समय के लिए पंजीकृत नहीं की जाती) है जिसकी संचित हानियां किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में उसके सम्पूर्ण मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक हैं और जिसे उसी वित्तीय वर्ष तथा ऐसे वित्तीय वर्ष से एकदम पहले वित्तीय वर्ष में नकद हानियां भी उठानी पड़ी है। अधिनियम के प्रावधान सरकारी कंपनियों, लघु उद्योग एककों तथा सहायक एककों पर लागू नहीं होते हैं। समुद्री जहाजों तथा विजली द्वारा चालित अन्य जलयानों से संबंधित अनुसूचित उद्योग पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को सलाह दी है कि एक लघु औद्योगिक एकक को "रुग्ण" माना जाना चाहिए यदि इसकी संचित हानियां किसी भी लेखा वर्ष के अंत से एकदम पहले जांच लेखा वर्षों में इसके अधिकतम मूल्य के 50% के बराबर अथवा अधिक हों। अत्यंत छोटे/विकेन्द्री त क्षेत्र के मामले में, यदि वित्तीय विवरण प्राप्त करना कठिन